



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2941] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938

No. 2941] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसंबर, 2016

सं. 114/2016

का.आ. 4033(अ).- केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 94क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में दिनांक 1 नवंबर, 2013 के का. आ. 3307 (अ) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 2013 की अधिसूचना संख्या 86 को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी उन मदों अथवा विलोपनों को छोड़कर जो इस वापसी से पूर्व किए गए थे, वापस लेती है।

[फा.सं. 500/02/2015-एफटी एंड टीआर-III]

गौरव शर्मा, अवर सचिव,